6

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.10.2025 का कार्यवृत्त।

प्रस्ताव संख्या –1 वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाना।

निर्णय पूर्व वित्त समिति के कार्यवृत्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आगामी वित्त समिति को अवगत कराने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या –2 छात्रों के शुल्क वापसी सम्बन्धी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 01.07.2025 एवं पूर्व पत्रों के आधार पर संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक द्वारा संस्तुत विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेशित छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त किये जाने पर शुल्क वापसी के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण निम्नवत् है–(संलग्नक–1)

Category	Percentage of refund of fees	Point of time when notice of withdrawal of admission is received in the HEI
1	100%	15 days or more before the formally notified last date of admission
2	90%	less than 15 days before the formally notified last date of admission
3	80%	15 days or less after the formally notified last date of admission
4	50%	30 days or less, but more than 15 days after formally notified last date of admission
5	00%	More than 30 days after formally notified last date of admission

छात्रों के शुल्क वापसी हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों व उपरोक्त तालिका के अनुसार शुल्क वापसी किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

निर्णय– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के कम में विश्वविद्यालय के शुल्क वापसी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या –3 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों को नामित किये जाने हेतु प्रति विषय/प्रति विशेषज्ञ रूपये 5000 (पांच हजार) लिया जाना प्रस्तावित है– (संलग्नक–2)

निर्णय– स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों/प्राचार्य की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों को प्रतिविषय/प्रति विशेषज्ञ रुपये 5000 का मानदेय दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या –4 अवगत कराना है कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.03.2025 के प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न विवादों की पैरवी एवं निस्तारण हेतु समय समय पर अधिवक्ताओं की सेवा ली जाती है। जनपद स्तर के अधिवक्ता जो जनपद के परिवादों की पैरवी करते है उन्हें प्रतिवाद रुपये 3000, क्लर्केज चार्जेज 15 प्रतिशत तक, विविध खर्चे अतिरिक्त से देय है। इसके पश्चात् बरेली के दो अधिवक्ताओं को रुपये 7000 रिटेनरशिप प्रतिवाद की दर से अनुमोदन किया गया था। रिटेनरशिप हेतु दिनांक 25.03.2022 से पूर्व रुपये 5000 प्रतिवाद एवं दिनांक 25.03.2022 के पश्चात् रुपये 7000 प्रतिवाद की दरो को अनुमोदन किया गया था लेकिन त्रुटिवश धनराशि

का अनुमोदन प्रतिवाद की दर से हो गया है जबकि इसे प्रतिमाह की दर से अनुमोदन किया जाना है।(संलग्नक-3)

निर्णय- विश्वविद्यालय के विभिन्न विवादों की पैरवी एवं निस्तारण हेतु समय समय पर अधिवक्ताओं की सेवा ली जाती है। जनपद स्तर के अधिवक्ता जो जनपद के परिवादों की पैरवी करते है उन्हें प्रतिवाद रुपये 3000, क्लर्केज चार्जेज 15 प्रतिशत तक, विविध खर्चे अतिरिक्त से देय है। इसके पश्चात् बरेली के दो अधिवक्ताओं को रुपये 7000 रिटेनरशिप प्रतिवाद की दर से अनुमोदन किया गया था। रिटेनरशिप हेतु दिनांक 25.03.2022 से पूर्व रुपये 5000 प्रतिवाद एवं दिनांक 25.03.2022 के पश्चात् रुपये 7000 प्रतिवाद की दरो को अनुमोदन किया गया था जिसे प्रतिमाह की दर से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या -5 विश्वविद्यालय परिसर में कृषि एवं तकनीकी संकाय की स्थापना एवं संचालन हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर पदो के सृजन एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु संकायाध्यक्ष कृषि संकाय (परिसर) के प्रस्ताव एवं संकायाध्यक्ष शैक्षणिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है-(संलग्नक-4)

संकाय में सत्र 2025-26 से प्रारम्भ किये जाने वाले प्रोग्राम व पाठ्यक्रमों का नाम, सीटो की संख्या, छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क, पाठ्यक्रम की अवधि आदि।

1- पाठ्यक्रमो हेतु वांछित शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन।

2- कक्षा संचालन हेतु पाठ्यक्रमो हेतु शिक्षकों को दिये जाने वाले निश्चित मानदेय का प्रस्ताव।

3- कक्षा संचालन हेतु पाठ्यक्रमो हेतु लाईब्रेरी स्टॉफ के मानदेय का अनुमोदन।

उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है।(संलग्नक-4)

निर्णय- प्रस्ताव के अनुरूप कृषि संकाय (परिसर) में पठन-पाठन हेतु कुल 37 शिक्षकों (आचार्य-03, सह आचार्य-09 एवं सहायक आचार्य-25), शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 30 पदों तथा पुस्तकालय हेतु कुल 03 पदों के सृजन का अनुमोदन किया गया। साथ ही प्रोफेसर का अधिकतम मानदेय रुपये 70000 प्रतिमाह, एसोसिएट प्रोफेसर का अधिकतम मानदेय रुपये 65000 प्रतिमाह, एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर का अधिकतम मानदेय रुपये 40000 प्रतिमाह निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक का अधिकतम मानदेय रुपये 15000 प्रतिमाह एवं फील्ड असिस्टेन्ट का अधिकतम मानदेय रुपये 13000 प्रतिमाह निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

असिस्टेन्ट लाईब्रेरियन का मानदेय अधिकतम रुपये 40000 प्रतिमाह एवं पुस्तकालय सहायक का अधिकतम मानदेय रुपये 20000 निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

पूर्ण प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया।(संलग्नक-4)

प्रस्ताव संख्या -6 विश्वविद्यालय परिसर में कृषि एवं तकनीकी संकाय की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु संकायाध्यक्ष कृषि संकाय (परिसर) के प्रस्ताव एवं संकायाध्यक्ष शैक्षणिक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है-(संलग्नक-5)

संकाय के सत्र 2025-26 से प्रारम्भ किये जाने वाली कक्षा संचालन हेतु भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आधारभूत संरचना के विकास हेतु रुपये 1,80,90,000 के व्यय का प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है।

निर्णय- अनुमोदन किया गया।

..ताव संख्या –7	विश्वविद्यालय परिसर में जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जैव सूचना एवं कम्प्यूटर जीव विज्ञान विभाग की स्थापना एवं संचालन हेतु विभाग के प्रस्ताव को विभागाध्यक्ष बायोइन्फार्मेटिक्स एवं संकायाध्यक्ष जीवन विज्ञान संकाय के प्रस्ताव एवं संकायाध्यक्ष शैक्षणिक द्वारा संस्तुत किया गया है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–6) 1– विभाग में सत्र 2025–26 से प्रारम्भ किये जाने वाले प्रोग्राम व पाठ्यक्रमों का नाम, सीटो की संख्या, छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क, पाठ्यक्रम का अवधि आदि। 2– पाठ्यकमो हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक एवं आउटसोर्सिंग के पदो के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है। (संलग्नक–6)
निर्णय–	प्रस्ताव के अनुरूप बायोइन्फोमेटिक्स एण्ड कम्पयूटेशनल बायोलॉजी विभाग में कुल 07 शैक्षणिक पदों (प्रोफेसर–1, एसोसिएट प्रोफेसर–02, एवं एसिस्टेन्ट प्रोफेसर–04), तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के कुल 03 पदों के सृजन का अनुमोदन किया गया। उक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों/शिक्षकों का मानदेय प्रस्ताव संख्या 4 पर लिये गये निर्णय के अनुरूप निर्धारित करने की अनुमति प्रदान की गयी। पूर्ण प्रस्ताव के अन्य प्रस्तरों को यथावत अनुमोदित किया गया।
प्रस्ताव संख्या –8	जीवन विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जैव सूचना एवं कम्प्यूटर जीव विज्ञान विभाग की स्थापना एवं संचालन हेतु विभाग की आधारभूत संरचना के विकास हेतु विभागाध्यक्ष बायोइन्फार्मेटिक्स एवं संकायाध्यक्ष जीवन विज्ञान संकाय के प्रस्ताव एवं संकायाध्यक्ष शैक्षणिक द्वारा संस्तुत प्रस्ताव का विवरण निम्न प्रकार है–(संलग्नक–7) पाठ्यक्रमों को संचालित किये जाने हेतु आवश्यक सुविधाओं व सामग्री की आपूर्ति हेतु रुपये 44,90,000 का प्रस्ताव। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पत्रावली संलग्न है।(संलग्नक–7)
निर्णय–	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या –9	जीवन विज्ञान संकाय में एम0एस0सी0 बायोइन्फार्मेटिक्स पाठ्यक्रम के संचालन हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क रुपये 43,000 प्रतिवर्ष एवं प्रथम वर्ष में कॉशनमनी के रूप में रुपये 2,000 अतिरिक्त जमा कराये जाने का प्रस्ताव। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण सलग्न है। (संलग्नक–8)
निर्णय–	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या –10	कृषि एवं तकनीकी संकाय में संचालित बी0 एससी0 (ऑनर्स) एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के संचालन हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क रुपये 38,000 प्रतिवर्ष एवं प्रथम वर्ष में कॉशनमनी के रूप में रुपये 2,000 अतिरिक्त जमा कराये जाने का प्रस्ताव। संकाय में संचालित एम0 एससी0 (हार्टिकल्चर/जैनेटिक एवं प्लांट ब्रीडिंग एवं एग्रोनॉमी) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क रुपये 48,000 प्रतिवर्ष एवं प्रथम वर्ष में कॉशनमनी के रूप में रुपये 2,000 अतिरिक्त जमा कराये जाने का प्रस्ताव। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है।(संलग्नक–9)
निर्णय–	अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या –11	विश्वविद्यालय को सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन पाठ्यकम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान प्राप्त हुई है। उक्त के दृष्टिगत प्रत्येक पाठ्यकम में 60 सीटे (बी0ए0 को छोड़कर) एवं लिये जाने वाले शुल्क का विवरण निम्नवत् है–

एम0 ए0 रुपये 8,000 प्रतिवर्ष एवं परीक्षा शुल्क अतिरिक्त।
एम0 एससी0 मैथ रुपये 12,000 प्रतिवर्ष एवं परीक्षा शुल्क अतिरिक्त।
एम0 कॉम0 रुपये 12,000 प्रतिवर्ष एवं परीक्षा शुल्क अतिरिक्त।
बी0ए0 रुपये 8000 प्रतिवर्ष एवं परीक्षा शुल्क अतिरिक्त।
उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है।(संलग्नक–10)

निर्णय– अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या –12 निदेशक शोध द्वारा पी0एच0डी0 प्रोग्राम हेतु आर0डी0सी0 हेतु आने वाले वाह्य एवं आन्तरिक विशेषज्ञ एवं प्री0 पी0एच0डी0 कोर्स हेतु सह–समन्वयक को प्रदान किये जाने वाले मानदेय सम्बन्धी प्रस्ताव निम्नवत् है–
उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है।(संलग्नक–11)

S No	Activity/work	Existing amount	Proposed amount
01	RDC (External Experts)	1000	Rs 100 per synopsis, minimum Rs 2000
2	RDC (Internal Committee members)	nil	Rs 1000
3	Pre-Ph.D Course Work Co-cordinator	nil	Rs 10000

निर्णय– अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या –13 निदेशक शोध द्वारा प्रस्तुत विभिन्न शोध परियोजनाओं में रिसर्च पेपर प्रकाशन के अन्तर्गत आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज दिये जाने का प्रस्ताव एवं आई0आर0जी0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत विद्यमान धनराशि में वृद्धि का प्रस्ताव निम्नवत् है।
उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित पूर्ण विवरण संलग्न है। (संलग्नक–12)

S No	Activity/work	Existing amount	Proposed amount
01	Article processing charges (ACP) for research paper publication (for first and corresponding authors of MJPRU only)	Nil	1-SCI/SCOPUS/ WEB of science journals with impact factor 3 and above Rs 60000 per paper up to two papers per year.
			2-SCI journals with impact factor 1 or more but less than 3 Rs 40000 per paper upto two papers per year.
			3-SCI journals with impact factor less than 1 or SCOPUS journal Rs 25000 per paper upto two papers per year.
			Limit- maximum Rs 120000 per year and maximum two papers per year including all categories.
2	IRG project 1-Arts and Huminities	Rs 300000	Rs 600000 (six lakh)
	2-Science and Engineering	Rs 500000	Rs 1000000 (ten lakh)

निर्णय– उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया–

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1.1 के संदर्भ में शोध पत्र SCI/SCOPUS/ WEB of science में प्रकाशित ऐसे शोध पत्र जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 3 या उससे अधिक है के

प्रकाशन हेतु अधिकतम रुपये 60000 प्रति पब्लीकेशन (अधिकतम 1 वर्ष में दो प्रकाशन तक) विश्वविद्यालय द्वारा पब्लीकेशन/प्रोसेसिंग चार्जेज प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया। उक्त पब्लीकेशन/प्रोसेसिंग चार्जेज उस स्थिति में ही देय होगा जब फर्स्ट ऑथर (first author) अथवा कोरेसपोन्डिंग ऑथर (corresponding author) एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय कैम्पस से हो।

2. उक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1.2 एवं 1.3 को वित्त समिति द्वारा अमान्य किया गया।
3. उक्त प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 2 को यथावत अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव संख्या –14

समय–समय पर विश्वविद्यालय परिसर में विकास विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत के कार्य कराये जाने हेतु निर्देश प्राप्त होते है। चूंकि निर्माण/मरम्मत कार्यों की दर निर्धारित न होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
अतः विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्य शासकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्धारित दर पर कराये जाने का प्रस्ताव है।(संलग्नक–13)

निर्णय– अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या –15

विश्वविद्यालय में कार्यरत 3 स्टोर कीपर को शासनादेश संख्या वे0 आ0–2–467ए/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 2013 के माध्यम से वेतन समिति (2008) के ग्यारवे प्रतिवेदन मे दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग तथा अन्य संवर्ग के सम्बन्ध में स्टोर कीपर संवर्ग का त्रिस्तरीय ढांचा (सहायक स्टोर कीपर, स्टोर कीपर, वरिष्ठ स्टोर कीपर) शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तन करने की संस्तुति करने का प्रस्ताव है।(संलग्नक–14)

निर्णय– प्रकरण कार्यपरिषद् को संदर्भित किया गया।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

04/10/25
(विनोद कुमार)
वित्त अधिकारी/सचिव

04.10.25
(प्रो0 के0 पी0 सिंह)
कुलपति, अध्यक्ष